

प्रसार शिक्षा निदेशालय

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर-263145, ऊ0सि0नगर, उत्तराखण्ड

प्रत्रांक : प्र.शि.नि./लेखा/-2204

दिनांक : मई 27, 2025

स्थानीय विज्ञप्ति

सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त कृषक छात्रावास एवं प्रशिक्षण केन्द्र, प्रसार शिक्षा निदेशालय में कृषक प्रशिक्षणार्थियों एवं अन्य आगन्तुओं के खान-पान व्यवस्था हेतु खाद्य सेवा प्रदाता के चयन प्रक्रिया के लिए दिनांक 01.07.2025 से कृषक छात्रावास की खाद्य व्यवस्था हेतु खाद्य सेवा प्रदाता की आवश्यकता है।

अतः इच्छुक खाद्य सेवा प्रदाताओं से दिनांक 19.06.2025 की सांय 04 बजे तक आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। आवेदन कर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना आवश्यक है।

1. EMD (Rs. 2 Lac in favour of Director Extension Education)
2. Copy of Registration under Labour Laws
3. Copy of Employee Provident Fund registration
4. Copy of ESI Registration
5. Copy of GST Registration
6. Copy of PAN
7. Copy of FSSAI Registration
8. Copy of Registration under Food Safety Act 2006
9. Copy of Income Tax return, if available.
10. Affidavit for not black listing and no legal proceeding pending in any court of law.- Annexure-VIII
11. Affidavit of Rs. 100 for having understanding the bidding document and all its terms & conditions and also for providing quality services in accordance with the term & conditions of the contract.- Annexure-IX
12. Affidavit of Rs. 100 non-judicial stamp paper that assignment and subcontracting will not be done by him.- Annexure-X
13. Affidavit to be submit by contractor.- Annexure-XI
14. Format of menu to be submitted by applicant with signature, address etc.

क्र. सं.	नाम	दर (₹)	भोजन में परोसे जाने वाले खाद्य सामग्री
1	सुबह की चाय		चाय
2	नाश्ता		आलू के पराठे/ब्रेड-बटर/पूड़ी-सब्जी/चाय
3	दोपहर एवं रात्रि का भोजन		चावल (फाइन), दाल, चपाती, सब्जी (सूखी अथवा तरी), दही/रायता, सलाद, अचार, पापड़
4	सांय की चाय		चाय

प्रस्तावित निदेशक प्रसार

निर्धारित आहताये पूरी करने वाले आवेदक अपना पूर्ण आवेदन पत्र निदेशक प्रसार शिक्षा कार्यालय में सील

बन्द लिफाफे दिनांक **19.06.2025** की सांय 04 बजे तक अपने आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। समस्त सेवाशर्तें एवं अन्य अभिलेख प्रसार शिक्षा निदेशालय से किसी भी कार्यदिवस पर नियत तिथि एवं अवधि तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

निदेशक प्रसार शिक्षा

- प्रतिलिपि: 1. परिसम्पत्ति अधिकारी
2. प्रभारी अधिकारी विश्वविद्यालय अतिथिगृह
 3. प्रभारी कृषक छात्रावास, प्रसार शिक्षा निदेशालय
 4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण को कृपया विभिन्न छात्रावासों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
 5. प्रभारी अधिकारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट मैनेजमेंट सेल को स्थानीय विज्ञापित को अपलोड करने हेतु
 6. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के सादर सूचनार्थ

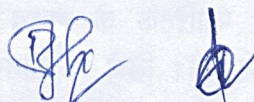
क्र.सं.	नाम	पद (s)	विवरण
1	मुख्य अधिकारी	प्रमुख	प्रमुख
2	अधीक्षक	अधीक्षक	अधीक्षक
3	प्रमुख अधिकारी	प्रमुख अधिकारी	प्रमुख अधिकारी
4	मुख्य अधिकारी	मुख्य अधिकारी	मुख्य अधिकारी

स्थानीय विज्ञप्ति की शर्तें

1. सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय के साथ अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर सुरक्षा निधि राशि को जब्त किया जा सकेगा।
2. पात्र पाई गयी संस्था से कुल अनुबन्ध दो वर्ष के लिए होगा।
3. दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष निविदा समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 01 माह की पूर्व सूचना देना होगी।
4. खाद्य सामग्री सन्तोषजनक न होने या निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में निविदाकर्ता का आदेश गो.ब. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशि जब्त की जायेगी। इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जायेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार कुलपति, गो.ब. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।
5. खाद्य सामग्री बनाने एवं परोसने में नियोजित कारीगर एवं वेटरों की श्रम नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन वेतन देने तथा ई. पी. एफ. एवं ई. एस. आई. सी. एक्ट कान्ट्रैक्ट, लेबर एक्ट के प्रावधानों (इनमें से जो भी लागू हो) के अनुपालन की समस्त जिम्मेदारी केटरिंग फर्म की होगी। खाद्य सामग्री बनाने एवं परोसने में बाल श्रमिकों को नियोजित नहीं किया जाएगा।
6. फर्म द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान किये जाने वाले भोजन हेतु उच्च गुणवत्ता के अनाज, दालें, ताजी सब्जियां, डबल रिफाईन्ड तेल, ब्रांडेड एगमार्ग मसाले एवं मिलावट रहित डेरी प्रोडक्ट्स दही, दूध, पनीर, मावा, आदि गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री का उपयोग किया जाएगा।
7. यदि केटरिंग फर्म द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदाय की गई खाद्य सामग्री को व्यक्तियों द्वारा खाने के पश्चात् फूड पाईजनिंग होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व केटरिंग फर्म का होगा। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में चाय नाश्ता, ब्रेक फास्ट, लंच, डिनर, आदि में भोजन परोसने हेतु हॉट केस, क्राकरी, काँच के गिलास, टी सेट, कटलरी, पेपर नेपकिन, आई.एस.आई. मार्क पैकड वाटर, डिस्पोजल प्लेट, कटोरी, ग्लास, चम्मच तथा आवश्यक संख्या में वर्दीधारी वेटरों की व्यवस्था फर्म द्वारा की जाएगी।
8. केटरिंग फर्म द्वारा निर्धारित समय पर ताजी एवं गर्म खाद्य सामग्री परोसी जायेगी।
9. पैकड लंच/डिनर के लिए लेमीनेटेड एल्यूमिनियम फाइल युक्त कार्ड डिब्बे का उपयोग किया जाएगा। चावल, सब्जी, दाल, रायता एवं स्वीट डिश पैक करने के लिए प्लास्टिक डिस्पोजल ढक्कन सहित कटोरी का उपयोग किया जाएगा। सलाद एवं अचार प्लास्टिक के जिप युक्त थैली में पैक की जाएगी। रोटी/पराठा अच्छी क्वालिटी की एल्यूमिनियम फाइल में रोल करके पैक किया जाएगा। प्रत्येक डिब्बे में एक डिस्पोजल चम्मच रखी जायेगी। प्रत्येक डिब्बे को रबर बैंड से बन्द करना होगा साथ ही रबर के साथ दो पेपर नेपकिन लगे रहना चाहिए। प्रत्येक पैकेट को बन्द करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाद्य सामग्री का रिसाव न हो। पैकड आयटम उपरोक्त मानक अनुसार नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान से यथोचित कटौती की जाएगी।
10. पैकड ब्रेकफास्ट के लिए एल्यूमिनियम फाइल युक्त कार्डबोर्ड के डिब्बे का उपयोग किया जाएगा। ढोकलाध्वेज सैंडविच को प्लास्टिक के पाउच में पैक किया जाएगा। प्रत्येक डिब्बे में एक डिस्पोजल चम्मच रखी जाएगी। डिब्बे में सामग्री रखने के बाद प्रत्येक डिब्बे के ऊपर पेपर

नैपकिन रखकर रबर बैंड से बन्द किया जायेगा। उपरोक्त वर्णित पैकिंग मटेरियल उत्तम होना आवश्यक है।

11. कैंटीन/केटरिंग व्यवस्था के लिए केन्द्र/राज्य शासन एवं स्थानीय निकायों द्वारा समय-समय पर अधिरोपित टैक्स एवं ड्यूटीज का भुगतान समय समय पर अनिवार्य रूप से करने का उत्तर दायित्व चयनित फर्म का होगा। फर्म के देयक से नियमानुसार टैक्स की कटौती विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी।
12. खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सन्तोषजनक होने पर ही स्वीकार की जायेगी। आदेशित सामग्री की गुणवत्ता उचित न होने पर निविदादाता को उनके व्यय पर वापस की जाएगी तथा देयक से वापस की गई सामग्री की राशि की कटौती की जाएगी।
13. किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर संबंधित फर्म स्वयं उत्तरदायी होगी।
14. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बिल में देय टैक्स की दर पृथक से प्रस्तुत करें।
15. जो निविदा मान्य नहीं होगी उनकी सुरक्षा निधि राशि लौटा दी जायेगी।
16. निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार कुलपति, गो०ब०पंत कृषि एवं प्रौद्यो० विश्वविद्यालय, पन्तनगर के पास सुरक्षित रहेगा।
17. कार्य आदेश की मात्रा को देखते हुए फर्म के अनुरोध पर विश्वविद्यालय परिसर में खाद्य सामग्री बनाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। भोजन बनाने के उपयोग में आने वाले बर्तन, ईंधन आदि की व्यवस्था निविदाकर्ता को स्वयं करनी होगी। खाद्य सामग्री बनाने में व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का उपयोग करना होगा। बिजली पानी एवं गार्बेज निस्तारण की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
18. विश्वविद्यालय द्वारा चयनित खाद्य सेवा प्रदाता को विश्वविद्यालय नियमानुसार कैंटीन मासिक रखरखाव शुल्क ₹ 4,000.00 प्रतिमाह प्रसार शिक्षा निदेशालय में तथा विद्युत शुल्क ₹ 2,000.00 प्रतिमाह, जल शुल्क ₹ 400.00 प्रतिमाह एवं सफाई शुल्क ₹ 200.00 प्रतिमाह सम्बन्धित विभागों में जमा कराया जाना आवश्यक होगा। ये शुल्क खाद्य सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अग्रिम के रूप में विश्वविद्यालय में जमा किया जायेगा, जिसकी रसीद की छायाप्रति प्रसार शिक्षा निदेशालय में प्रस्तुत की जानी होगी। किसी भी प्रकार की महामारी की स्थिति में उपरोक्त शुल्क माफ रहेगा।
19. निविदाकर्ता द्वारा फूड सेफ्टी नार्मस का पालना करना होगा।
20. निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर कुलपति, गो०ब०पंत कृषि एवं प्रौद्यो० विश्वविद्यालय, पन्तनगर का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
21. न्यायालयीय विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार उद्यमसिंह नगर न्यायालय होगा।
22. कैंटीन में बाहर के लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
23. कैंटीन के अंदर किसी भी मादक पदार्थों/धूम्रपान (पान, तम्बाकू बीड़ी, सिगरेट, गुटका इत्यादि) का प्रयोग तथा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
24. कैंटीन संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व कैंटीन संचालक का होगा। अतएव जिन परिस्थितियों का उल्लेख निविदा फार्म में नहीं किया गया है उनके लिए भी कैंटीन संचालक उत्तरदायी होगा।



25. निविदा स्वीकृत होने की दशा में राशि ₹ 100.00 (एक सौ मात्र) के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
26. कैटीन में प्रयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री शाकाहारी रहेगी।
27. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराना वर्जित है।
28. यह निविदा अहस्तांतरणीय है।
29. चयनित संस्था अपने कर्मियों की निष्ठा एवं आचरण का सत्यापन सुनिश्चित करेगी एवं उनका अभिलेख रखेगी। प्रत्येक कर्मी (कुक/वैटर) के पास पहचान-पत्र होना अनिवार्य होगा तथा वे अपनी वर्दी पर नाम पट्टिका भी लगाएंगे।
30. निविदा खोलते समय यदि फर्म का प्रतिनिधि अनुपस्थित रहता है तो बाद में किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
31. निविदा की शर्तों का उल्लंघन अथवा कैटीन में कार्यरत कर्मियों की कार्य पर से अनुपस्थिति अथवा कार्यालयीन समय पर अभद्र व्यवहार, कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा नशे की हालत में पाए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा कैटीन संचालक से निम्नानुसार क्षति पूर्ति की राशि वसूल की जाएगी :-

क्र.स.	विवरण	क्षतिपूर्ति की राशि प्रति दिन प्रति व्यक्ति
1.	वैटर/कुक निर्धारित यूनिफार्म में न होने पर	रु. 100.00
2.	कैटीन संचालक द्वारा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन या विश्वविद्यालय के निर्देशों को न मानने पर	रु. 5000.00 निविदा निरस्त करते हुए धरोहर राशि राजसात की जायेगी।

32. कैटीन में कार्यरत कर्मियों के बीमा की जिम्मेदारी कैटीन संचालक की होगी। कैटीन कर्मियों के साथ हुई किसी प्रकार की दुर्घटना के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

